

He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] No. 227] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2003/वैशाख 24, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2003/VAISAKHA 24, 1925

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 20 मार्च, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 398(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और 47 की उप धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ख) यह सरकारी गज़ट में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में विनियम 7 के खंड (5) में ''भारत के बाहर किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता'' शब्दों के स्थान पर ''भारत के बाहर अथवा भारत में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[क्रमांक : फेमा. 87/2003-आरबी] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th March, 2003

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 47 and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated 3rd May, 2000 the Reserve Bank of

India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) Regulations, 2000 namely:—

1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2003.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in Regulation 7, in clause (5), for the words "Foreign Currency Account with a bank outside India", the words, "Foreign Currency Account with a bank outside or in India" shall be substituted.

[No.FEMA/87/2003-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 1 अप्रैल, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 399(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 के की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आसिबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत::—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ख) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2003 के (क) विनियम 6 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः

''6अ. समुद्रपारीय पंजीकृत कंपनियों की ईंक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति

भारत में निवासी व्यक्ति जो व्यक्ति या सूचीबद्ध भारतीय कंपनी या भारत में पंजीकृत म्युचुअल फंड है, वह सान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और निवेश वर्ष की पहली जनवरी को उसके अपने नाम में शेयर धारिता 10 प्रतिशत से कम न हो, ऐसी विदेशी कंपनी में निवेश कर सकता है. बशर्ते कि,

- (i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा निवेश के मामले में निवेश नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र में दर्शाई गई शुद्ध मालियत के 25 प्रतिशत से अधिक न हो:
- (ii) म्युचुअल फंड द्वारा निवेश के मामले में प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर नियत सीमा से अधिक न हो;
- (iii) समुद्रपारीय कंपनी के शेयरों की खरीद व बिक्री से संबंधित प्रत्येक लेनदेन भारत में नामित किसी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के माध्यम से किया जाएगा।''

[सं. : फेमा./88/2003-आरबी] कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2003

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 19/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2000, as amended from time to time namely:—

1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2003.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2003

(a) after Regulation 6, the following shall be inserted, namely:—

"6A. Permission for Direct Investment in Equity of Companies Registered Overseas

A person resident in India, being an individual or a listed Indian company or a mutual fund registered in India, may invest in the shares of an overseas company which is listed on a recognised stock exchange and has a share holding in its name of not less than 10% in any listed Indian company as on 1st January of the year of investment, provided that:—

- (i) in the case of investment by the listed Indian company, the investment shall not exceed 25% of its net worth shown in its latest audited balance sheet;
- (ii) in the case of investment by Mutual Fund, the investment shall not exceed the ceiling stipulated by Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time to time;
- (iii) every transaction relating to purchase and sale of shares of the overseas company shall be routed through the designated branch of an authorised dealer in India."

[No. FEMA/88/2003-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director